अर्द्धशा 0डीजी परिपत्र संख्या-55/2014

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः अगस्त 31 ,2014

प्रिय महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि राजकीय रेलवे पुलिस में जनशक्ति तथा अन्य संसाधन की कमी के कारण उचित वैधानिक कार्यवाही बिना जनपदीय पुलिस के सहयोग के करने में समस्या आती है। उदाहरणस्वरूप अभी हाल ही में दिनांकः 27.07.2014 को देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस में नजीबाबाद के आस पास एक युवक की हत्या कर दी गयी। राजकीय रेलवे पुलिस के पास कोई फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट न होने के कारण जी0आर0पी0 के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से सम्पर्क कर बरेली जं0 पर जनपदीय फोरेन्सिक फील्ड यूनिट मंगायी गयी, परन्तु ट्रेन के बरेली जं0 पर मात्र 05 मिनट रूकने के कारण वह भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पायी। इसी प्रकार राजकीय रेलवे पुलिस के पास कोई महिला थाना न होने के कारण जब भी कोई महिला अभियुक्ता गिरफ्तार की जाती है तो उसे थाने में रखने में कठिनाई होती है, विशेषकर जब उस थाने में कोई महिला आरक्षी नियुक्त न हो। इसी प्रकार कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होने पर जीआरपी के अन्य थाने व चौकियों से फोर्स पहुंचने में अत्यधिक समय लग जाता है। इस कारण स्थिति से निपटने में विलम्ब हो जाता है और वह कई बार उग्र रूप भी धारण कर लेती है।

2 राजकीय रेलवे पुलिस को अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए **जनपदीय पुलिस के द्वारा अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए** निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते है:

i जब भी कोई संगीन अपराध, विशेषकर हत्या, जीआरपी कार्य क्षेत्र में होती है तो जीआरपी द्वारा सम्बन्धित जनपदीय पुलिस के नियंत्रण कक्ष को फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट के लिए निवेदन भेजने पर जनपद की फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना होगी। यदि चलती ट्रेन में हत्या जैसा अपराध घटित हुआ है तो अगले स्टेशन से सम्बन्धित जनपद की फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट स्टेशन पर पहुंचकर उस ट्रेन से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करेगी। क्योंकि इस कार्यवही के लिए रेलवे द्वारा ट्रेन रोकी नहीं जाती है, अतः इस फॉरेन्सिक फील्ड यूनिट द्वारा चलती ट्रेन में साक्ष्य एकत्रित किये जायेगें और कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त अगले स्टेशन पर उतकर किसी अन्य ट्रेन से वापस अपने जनपद आयेंगे।

ii बहुधा यात्री ट्रेनों/मालगाड़ियों एवं रेलवे स्टेशन पर कई बार अपराध कारित होते है जहां पर जीआरपी के कोई थाना/चौकी नहीं होते है। सम्बन्धित जीआरपी थाने से पुलिस बल को पहुंचने में काफी समय लग जाता है। जीआरपी थाने द्वारा सम्बन्धित जनपदीय पुलिस के नियंत्रण कक्ष को सूचना देने पर जनपदीय पुलिस के निकटतम थाने के द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल को सुरक्षित रखा जायेगा जब तक कि जीआरपी के अधिकारी/कर्मचारी न पहुँच जाए।

iii जीआरपी क्षेत्रान्तर्गत जब भी कोई महिला अभियुक्ता गिरफ्तार होती है और उस थाने पर महिला पुलिस कर्मी नियुक्त नहीं है तो उक्त महिला अभियुक्ता को जनपदीय पुलिस के महिला थाने में रखा जायेगा।

iv अनेक अवसरों पर जीआरपी को कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि जीआरपी थाने अलग अलग जनपद में स्थापित है, अतः एक थाने से दूसरे थाने तक पुलिस बल भेजने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाता है। अतः जीआरपी थाने द्वारा कानून व्यवस्था हेतु पुलिस बल की माँग किए जाने पर निकटतम जनपदीय पुलिस के थाने द्वारा उन्हें आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा।

v रेलवे स्टेशन/ट्रेन आदि में असामाजिक तत्वों/आतंकवादी तत्वों के द्वारा विस्फोटक इस्तेमाल किये जाने की धमकी मिलने पर सम्बन्धित जनपदीय पुलिस तत्काल निकटतम बम निरोधक दस्ता/स्वॉन दल जीआरपी थाने को उपलब्ध करायेगी।

मै अपेक्षा करता हूँ कि उक्त स्थाई आदेश का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जनपदीय नियंत्रण कक्ष, प्रतिसार निरीक्षक, रेलवे स्टेशन के आस पास के थानों के क्षेत्राधिकारीगण व थानाध्यक्षों को इन निर्देशों से भलीभाँति परिचित कराकर उन्हे स्पष्ट निर्देश दें कि उपरोक्तानुसार आवश्यक सहयोग राजकीय रेलवे पुलिस को अनिवार्य रूप से दिया जाए।

भवदीय,

(ए0एल0बनर्जी) 31/08/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषितः

1. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ0प्र0।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0/समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे।